राजस्थान सरकार

कार्मिक (क–ग्रुप–2) विभाग

सं.एफ.2(1)डीओपी/ए– II/82 पार्ट–II **जयपुर, दिनांक : 12.10.2017**

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा (दूसरा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **अनुसूची–I का संशोधन.**– राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम, 1965, से संलग्न अनुसूची– I में शीर्ष **ग्रुप क V पैरा चिकित्सा संवर्ग (चिकित्सा)** के अधीन.–

(i) क्रम संख्यांक 1 के सामनें स्तंभ 6 में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

"18 वर्ष की कुल सेवा सहित स्तम्भ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।" , और

(ii) क्रम संख्यांक 3 के सामने स्तंभ 6 में विद्यमान अभिव्यक्ति "2 वर्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "5 वर्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

12/10/17

(सुनील शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव

53/2017